

नियमावली

1. संस्था का नाम :- श्रीमती अंगूरी देवी शिक्षा समिति, ✓
 2. संस्था का पता :- गांव गंगा का नगला पोस्ट राया जिला मथुरा ✓
 3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ✓
 - 4- संस्था का उद्देश्य :- स्मृतिपत्र के अनुसार उद्देश्य होंगे ।
 5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग :-

1. संरक्षक सदस्य :— जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1000/- रु० सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देगें वे संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेंगे ।

2. आजीवन सदस्य :- जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500 / रु० सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देगें वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे । ✓

3. साधारण सदस्य :— जो सज्जन इस संस्था को 250 / रु० ०० वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेंगे वे इस संस्था के साधारण सदस्य होंगे। ✓

4. विशिष्ट सदस्य :- ऐसे सज्जन, जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हो व जो विद्वान होगे, सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये विशिष्ट सदस्य मनोनित करेगी, ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगे उनकी स्बेच्छा से दिया गया दान, चंदा, संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा।

- ## **6. सदस्यता की समाप्ति :-**

- 1- सदस्य की मृत्यु होने पर, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।

2- आचरण भ्रष्ट होने पर एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

3- किसी न्यायलय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।

4- सदस्यता शुल्क समय से अदान करने पर ।

5- संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर ।

6- किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।

7- सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी

7. संस्था के अंग :- (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

- ### 8. साधारण सभा :-

अ. गठन :- साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा।

व. बृहक् :- साधारण समा का सामान्य बठक वष मे एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता अनुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

स. सूचना अवधि :— साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी उचित या पर्याप्त माध्यम से दी जायेगी।

द. गणपूर्ति:- गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के $\frac{2}{3}$ सदस्यों की उपस्थित का कोरम होगा।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :- संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा

सत्य प्रतिष्ठिति

Nandam Shavone

અધ્યાત્મ

CHAP. VI

..... 2 सोलाइट एवं विट्स
सोलाइट एवं विट्स, आगरा

2572-2

र. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1- संस्था की प्रबन्धसमिति का समय समय पर चुनाव सम्पन्न करना ।
- 2- नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।
- 3- वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :-

अ. गठन :- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा के 2/3 बहुमत से 07 सदस्यों को चुन कर किया जायेग, जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष, एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें ।

संस्था की प्रबन्धसमिति को आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जायेगा जो कि कम से कम 07 व अधिकतम 15 तक होगी ।

ब. बैठकें :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष मे दो बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

स. सूचना अवधि :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों दी जावेगी ।

द. गणपूर्ति :- गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थित का कोरम होगा ।

य. रिक्त स्थान की पूर्ति :- प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति/साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

र. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

सत्यम् च यत् संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों का सुलझाना ।

- 2- नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत करना ।

3- वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना ।

4- संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, बैंकों, प्रतिष्ठानों निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना, तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेविल कार्यों पर व्यय करना ।

5- संस्था के विकास हेतु उपइकाईयों एवं उपसमितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना ।

ल. कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा ।

10. पदाधिकारीयों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष :-

संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।

2- मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बरावर मत होने की दशा में अपना निर्णयक मत देना ।

3- संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की देखभाल करना ।

सत्य प्रतिष्ठाप

2. उपाध्यक्ष :-

अध्यक्ष की अनुपस्थित मे उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना ।

2- सामान्य स्थिति मे अध्यक्ष के कार्यों मे उनका सहयोग करना ।

ज्ञापन

कर्म दोषाद्दीज हव चिदु

बाह्यरा लै वा वार्षा

257m

3. प्रबन्धक / सचिव :-

- 1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना।
- 2- संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना।
- 3- संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व सदस्यता शुल्क व आवश्यकतानुसार बैंकों आदि से ऋण प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना।
- 4- संस्था के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हों करना।
- 5- संस्था के अंतर्गत संचालित संस्थानों/विधालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निस्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।
- 6- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना व अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।
- 7- संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राप्टों बन्धक विलेखों बिल-बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

Non Profit Society

4. उपप्रबन्धक / उपसचिव :-

- 1- प्रबन्धक / सचिव की अनुपस्थित में उनके स्वीकृत कार्यों को करना, सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना।

5. कोषाध्यक्ष:-

- 1- संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना एवं आय व्यय बही पत्रों को तैयार करना।
- 2- कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान, अनुदान, चंदा आदि प्राप्त करना।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसाइटीजीओअधिभ० की संगत धारा के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

12. संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था:-

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/मान्यता प्राप्त बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस मे संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष, प्रबन्धक / सचिव व कोषाध्यक्ष तीनों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

13. संस्था का लेखा परीक्षण :-

संस्था का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति आडीटर व आवश्यकतानुसार चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:-

संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक / सचिव द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

15. संस्था के अभिलेख :-

- 1- सदस्यता रजिस्टर
- 2- कार्यवाही रजिस्टर
- 3- कैशबुक, रसीद बुक,
- 4- एजेण्डा रजिस्टर
- 5- निरीक्षण रजिस्टर आदि।

16. संस्था का विघटन :-

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा- 13 व 14 के अंतर्गत की जावेगी।

दिनांक :-

सत्यप्रतिलिपि

दर विवरण
सम्पूर्ण वाचाकीय एवं विद्युत
प्राप्ति वाच, वाग्य
25/7/22